बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्

बिहार सरकार

प्रखंड संसाधन केन्द्र (BRC)/शहरी संसाधन केन्द्र (URC) के प्रखंड साधनसेवी के लिए सेवानिवृत शिक्षकों का पैनल निर्माण के लिए आवश्यक सूचना

राज्य के सभी 537 प्रखण्ड/शहरी संसाधन केन्द्रों (BRC/URC) के लिए प्रखण्ड साधन सेवी के पदों के लिए सेवानिवृत शिक्षकों का प्रखण्डवार पैनल तैयार करके सहमति के आधार पर अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक इनसे कार्य लिए जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाना है।

इच्छुक सेवानिवृत शिक्षक, जिस प्रखण्ड संसाधन केन्द्र/शहरी संसाधन केन्द्र के क्षेत्राधीन कार्य करने के लिए इच्छुक होगें, उक्त प्रखण्ड संसाधन केन्द/शहरी संसाधन केन्द्र के समन्वयक–सह–प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को निबंधित डाक/ई–मेल से अपना आवेदन दिनांक 22 जुलाई, 2023 तक प्रेषित कर सकते है।

आवेदन प्रपत्र का प्रारुप एवं अन्य विवरण परिषद् के वेबसाइट www.bepcssa.in पर देखा जा सकता है।

राज्य परियोजना निदेशक
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्

बिहार सरकार

प्रखंड संसाधन केन्द्र (BRC)/शहरी संसाधन केन्द्र (URC) के प्रखंड साधनसेवी के लिए सेवानिवृत शिक्षकों का पैनल निर्माण हेतु आवेदन पत्र

आवेदित जिला का नाम	:	
आवेदित प्रखंड संसाधन केन्द्र **(BRC)**/शहरी संसाधन केन्द्र **(URC)** का नाम	:	
1. नाम	:	
2. पिता/पति का नाम	:	
3. जन्म तिथि	:	
4. सेवानिवृति की तिथि	:	
5. विद्यालय/संस्थान का नाम एवं जिला का नाम (जहाँ से सेवानिवृत हुए है)	:	
6. वर्त्तमान निवास स्थान का पूर्ण पता	:	
7. आधार नं०	:	
8. मोबाइल नं०	:	
9. ई–मेल आई०डी०	:	
10. उच्च शैक्षणिक योग्यता	:	
11. उच्च प्रशैक्षणिक योग्यता	:	
12. कम्प्यूटर संचालन की जानकारी (हॉ/नहीं)	:	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना सही है तथा भविष्य में गलत पाए जाने पर इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार होऊँगा/होऊँगी।

तिथि : ....

पूर्ण हस्ताक्षर

स्थान : ....

B. Kartikey Dhanji, I.A.S.
State Project Director

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्रनगर, पटना–800004

Bihar Education Project Council
Shiksha Bhawan, Rashtrabhasha Parishad Campus,
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna-800004

कार्यालय आदेश

BRC एवं CRC से संबंधित विषय पर अनुशंसा देने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की दिनांक 27.06.2023 को संपन्न बैठक में लिए गए निर्णय एवं उक्त निर्णय पर अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार के आदेश के आलोक में राज्य के सभी 537 प्रखण्ड/शहरी संसाधन केन्द्रों (BRC/URC) के लिए प्रखण्ड साधन सेवी के 03 पदों अर्थात् 1611 पदों के लिए सेवानिवृत शिक्षकों का प्रखण्डवार पैनल तैयार करके सहमति के आधार पर अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक इनसे कार्य लिये जाने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को सक्षम प्राधिकार घोषित किया जाता है।

अतएव, उच्च स्तरीय समिति के निर्णय के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई के लिए दिशा–निर्देश निम्नवत् है:–

(1) सेवानिवृत शिक्षकों का प्रखण्डवार पैनल निर्माण के लिए जिला स्तर से 15 दिनों का समय देते हुए दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञप्ति जारी की जायेगी।

राज्य के द्वारा केन्द्रीयकृत व्यवस्था के तहत सभी जिलों के लिए एक विज्ञप्ति प्रकाशित कराया जा रहा है। प्रकाशित कराए जाने वाले विज्ञप्ति का प्रारुप सुलभ प्रसंग के लिए अनुलग्नक 01 के रुप में संलग्न है। जिलों के द्वारा दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति को जिला/सभी प्रखंड कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा इसका प्रचार–प्रसार भी किया जायेगा।

(2) इच्छुक सेवानिवृत शिक्षक जिस प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के क्षेत्राधीन कार्य करने के लिए इच्छुक होगें, उक्त प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के समन्वयक–सह–प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को निबंधित डाक/ई–मेल से अपना आवेदन निर्धारित तिथि दिनांक 22 जुलाई, 2023 तक प्रेषित कर सकते है।

(3) प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा प्राप्त आवेदन का समेकन कर जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के समक्ष निर्धारित तिथि को उपस्थापित किया जायेगा।

जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 2023 तक जिला स्तरीय चयन समिति का गठन सुनिश्चित करते हुए जिला चयन समिति की बैठक दिनांक 24–31 जुलाई, 2023 की अवधि में आहूत करायी जायेगी।

B. Kartikey Dhanji, I.A.S.
State Project Director

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्रनगर, पटना–800004

Bihar Education Project Council
Shiksha Bhawan, Rashtrabhasha Parishad Campus,
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna-800004

(4) जिला स्तरीय चयन समिति का गठन निम्नवत् किया जायेगा :–

1.	जिला शिक्षा पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
2	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (जिस जिला में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत नहीं है, वहाँ निकटतम जिला के प्राचार्य, डायट को जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा नामित किया जायेगा।)	–	सदस्य
3	जिला में स्थित किसी एक प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय / प्रखंड अध्यापक शिक्षा संस्थान का प्राचार्य **(अथवा)** जिला में प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय / प्रखंड अध्यापक शिक्षा संस्थान नहीं होने की स्थिति में जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान का उप प्राचार्य / वरीय व्याख्याता	–	सदस्य।
4	संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी	–	सदस्य
5	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (EE & SSA)	–	सदस्य सचिव

नोट :

(1) जिला में एक से अधिक प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय / प्रखंड अध्यापक शिक्षा संस्थान होने की स्थिति में प्राचार्य का चयन जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा।

(2) कम–से–कम 3 (तीन) सदस्यों की उपस्थिति में चयन समिति कार्य करने एवं निर्णय लेने हेतु सक्षम होगी। किन्तु 3 (तीन) सदस्यों में अध्यक्ष एवं प्रशिक्षण संस्थान से किसी एक प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(5) जिला चयन समिति के द्वारा प्रखण्डवार पैनल तैयार किया जायेगा। पैनल निर्माण में प्रथम स्थान पर वैसे सेवानिवृत शिक्षक को रखा जायेगा, जिनके सेवानिवृति की तिथि अंत में हो अर्थात् 65 वर्ष की आयु सबसे बाद में पूरी करते हों। सेवानिवृति की तिथि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि एक समान होने पर प्रथम नाम के प्रथम अल्फाबेट को आधार मान कर पैनल का निर्माण किया जायेगा।

(6) प्रखण्डवार पैनल से प्रत्येक प्रखण्ड के लिए चयनित किये जानेवाले 3 प्रखण्ड साधन सेवी में से कम से कम एक प्रारंभिक विद्यालय तथा एक माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय से अवश्य हों।

B. Kartikey Dhanji, I.A.S.
State Project Director

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्रनगर, पटना–800004

Bihar Education Project Council
Shiksha Bhawan, Rashtrabhasha Parishad Campus,
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna-800004

(7) प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा पर चयनित प्रखण्ड साधन सेवी को प्रत्येक माह रू० 20,000/– मात्र नियत मानदेय का भुगतान जिला कार्यालय द्वारा सीधे उनके बैंक खाता में किया जायेगा।

अतएव, उपरोक्त के आलोक में यथावश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाए।

(बी० कार्तिकेय धनजी)
राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांक : Quality/231/2022-23/ 4472 दिनांक : 5/7/23

प्रतिलिपि : (1) सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (EE & SSA) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, सभी प्रमंडल, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, बिहार/निदेशक, SCERT, बिहार/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार/ निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

राज्य परियोजना निदेशक